दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पे & अलावनसेस/ 01 /179 दिनांक:-11.01.2019

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-11/2019

विषय:-Implementation of recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government-Annual Allowance.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(P&A)I-2017/AL-2 दिनांक 09.01.2019, RBE No. 05/2019, PC-VII No. 126 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है।

उपरोक्त नियम दपूमरे की अधिकारिक वेब-साइट http://www.secr.indianrailways.gov.in एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (2 पृष्ठ)

11-1-19
(हफिज मोहम्मद)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.क्यू.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

E/R No-11/2019
P/1

PC-VII No. 126
RBE No. 05/2019

No. E(P&A)I-2017/AL-2

New Delhi, dated 09.01.2019.

The General Managers and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways & Production Units.

Sub: Implementation of recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government – Annual Allowance.

*****

Consequent upon the decisions taken by the government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to revision of allowances & issued vide MoH&FW OM No. A.45012/03/2017-CHS.V dated 30.08.2017, officers of the Indian Railway Medical Service(GDMOs) will be granted Annual Allowance as detailed below:

Annual Allowance

S. No.	Category	Revised Rates
1.	Railway doctors having Post Graduate qualification recognised under Indian Medical Council Act, 1956.	₹ 2250/- p.m.
2.	General Duty Doctors who do not possess any P G qualification or who possess unrecognised P G qualification.	₹ 1350/- p.m.

These revised rates of Annual Allowance will be subject to the following condition:

'At the end of financial year, each Specialist/General Duty Medical Officer will be required to furnish a certificate to the effect that the amount of Annual Allowance has been utilized for the purpose it was drawn. In the case of retirement/resignation before the end of the financial year, such a certificate will be furnished at the time of such retirement/resignation.'

2. The rates of this allowance will further rise by 25 percent each time DA payable on revised pay scales rises by 50 percent. The revised rates of the allowances shall be admissible with effect from the 1st July, 2017.

3. The terms & conditions as contained in para 1426 of IREC Vol.II (Sixth Edition – 1987, Second Reprint Edition – 2005, will remain unchanged.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Please acknowledge receipt.

(N.P.Singh)
Jt. Director/E(P&A)
Railway Board.

No. E(P&A)I-2017/ AL-2

New Delhi, dated 09.01.2019

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

11/2019 P/2

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 126
आरबीई नं. 05/2019

सं. ई(पीएंडए)I-2017/एएल-2

नई दिल्ली, दिनांक 09.01.2019

महाप्रबंधक एवं प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन - वार्षिक भत्ता।

******

सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर भत्तों के संशोधन के संबंध में लिए गए निर्णय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 30.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए.45012/03/2017-सीएचएस.V के तहत जारी पत्र के परिणामस्वरूप, भारतीय रेल चिकित्सा सेवा (जीडीएमओ) के अधिकारियों को वार्षिक भत्ता निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा:

वार्षिक भत्ता

क्रम सं.	कोटि	संशोधित दरें
1.	भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त रेल चिकित्सक।	₹ 2250/- प्रति माह
2.	सामान्य ड्यूटी चिकित्सक, जिनके पास कोई स्नातकोत्तर अर्हता न हो अथवा अमान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त हो।	₹ 1350/- प्रति माह

वार्षिक भत्ते की ये संशोधित दरें निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होंगी:

'वित्त वर्ष के अंत में प्रत्येक विशेषज्ञ/सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी को, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वार्षिक भत्ते की राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिए उसका आहरण किया गया था। वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के मामले में ऐसा प्रमाण-पत्र सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के समय प्रस्तुत किया जाएगा'।

2. इस भत्ते की दरें प्रत्येक बार संशोधित वेतनमान पर देय महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर 25 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएंगी। इस भत्ते की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2017 से अनुमेय होंगी।

3. भारतीय रेल स्थापना संहिता वॉल.II (छठा संस्करण -1987, दूसरा पुनर्मुद्रित संस्करण-2005) के पैरा 1426 में अंतर्विष्ट शर्तें एवं निबंधन अपरिवर्तित रहेंगे।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।